न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 550/2021 निर्णय दिनांक :–15.09.2022

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

शिवजीराम पुत्र मोडू जाति रेगर बालिग निवास पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राज0

– प्रार्थी–

बनाम

तहसीलदार जी देवली जिला टोंक राज0

–अप्रार्थी–

उपस्थितिः–

श्री सांवरिया बैरागी
अधिवक्ता प्रार्थी

तहसीलदार देवली
अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज0 टीनेन्सी एक्ट</u>

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी संख्या की खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 885 खसरा नम्बर 114 रकबा 0.10 है0 वाके ग्राम पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राज0 में स्थित है। राजस्व रिकार्ड में आराजी खसरा नम्बर 4124/115 एवं ख. नं. 162 राज0 सरकार के नाम दर्ज है तथा ख. नं. 163 गै. मु. सड़क है। प्रार्थी अपनी उक्त वर्णित खातेदारी की आराजी भूमि पर आम सड़क ख. नं. 163 से ख. नं. 162 एवं उपयोग उपभोग करता आ रहा है तथा अपने कृषि संबंधी यन्त्र भी इसी रास्ते से होकर लाता ले जाता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत

जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड में आने जाने का रास्ता नही होने के कारण प्रार्थी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा अपनी भूमि को काश्त नही कर पर रहा है। प्रार्थी को अपनी उक्त वर्णित आराजीयात पर आने जाने के लिये आम सडक ख. नं. 163 से ख. नं. 162 एवं ख. नं. 4124 / 115 में से होर 30 फीट रास्ता दिलाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है जिसके लिये यह प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी नियमानुसार एवं आदेशानुसार राशि जमा करवाने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 ए राज0 टीनेन्सी एक्ट मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 885 ख. नं. 114 रकबा 0.10 है0 वाके ग्राम पनवाड़ पटवार हल्का पनवाड तहसील देवली जिला टोंक राज0 पर आने जाने के लिये आम सड़क ख. नं. 163 से ख. नं. 162 एवं ख. नं. 4124 / 115 में से 30 फीट चौड़ा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

अप्रार्थी तहसीलदार देवली की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार देवली ने जवाब / रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार हैः– प्रार्थी का अपनी खातेदारी पर पहुंचने के लिए अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 9.14 मीटर तथा लम्बाई ख. नं. 4124 / 115 में से 12 मीटर अर्थात कुल 0.0110 वर्ग मीटर तथा ख. नं. 162 में लम्बाई 10 मीटर अर्थात कुल 0.091 वर्ग मीटर है। कुल क्षेत्रफल 0.0201 है0 है। उक्त भूमि सिवायचक भूमि है। डीएलसी दर 4101078 / – प्रति है0 कुल क्षेत्रफल 0.0201 है0 के लिए एक गुना राशि 82432 / – रूपये व दुगुनी 164864 / – रूपये बनती है। आवेदक की आराजी खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी के द्वारा चाहे गये रास्ते को लाल स्याही से चिन्हित

कर दिया गया है। प्रार्थी के द्वारा चाहे गये रास्ते के मध्य कोई पेड, दीवार आदि कोई संरचना नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता सिवायचक है यदि अत्यधिक आवश्यकता होने पर रास्ता दिया जाना उचित है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है। अतः मय राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी, नक्शा ट्रेस की दो प्रति और डीएलसी दर की छायाप्रति संलग्न कर श्रीमान्जी की सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार रास्ता देने की प्रार्थना की।

तहसीलदार बहस में अनुपस्थित रहे।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। तहसीलदार देवली ने अपनी रिपोर्ट में रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक बताई है और आवेदित रास्ते के मध्य कोई संरचना पेड़, दीवार व अन्य कोई कीमती मकान नही बताया है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि ख. नं. 114 में कृषि कार्य के लिए जाने के ख. नं. 4124/115 व 162 में से रास्ते की प्रार्थना की है। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेखित किया हुआ है कि प्रार्थी का अपनी खातेदारी पर पहुंचने के लिए अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है और प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। वाछित रास्ते के मध्य कोई पेड़, दीवार जैसी संरचान नहीं है। अप्रार्थी तहसीलदार के अनुसार अत्यधिक आवश्यकता होने पर रास्ता दिया जाना उचित है। उक्त के विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी में जाने के लिए कोई पहुंच मार्ग नहीं है और प्रार्थी की आवश्कता अत्यधिक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार देवली को आदेशित किया जाता है कि रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस में लाल

स्याही से दर्शित अनुसार लम्बाई ख. नं. 4124 / 115 में 12 मीटर, ख. नं. 162 में 10 मीटर, दोनो खसरो में चौड़ाई 9.14 मीटर अर्थात कुल लम्बाई 22 मीटर व चौड़ाई 9.14 मीटर कुल क्षेत्रफल 0.0201 है0 के लिए वर्तमान डीएलसी दर 4101078 प्रति है0 के अनुसारएक गुना राशि 82432 / — रूपये व दुगुनी 164864 / — रूपये की राशि प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार जमा करवाये जाने पर, रिपोर्ट अनुसार गै. मु. रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर, मौके पर चिन्हित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली